(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एम.के.सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 924–एक/.2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 25/बी–121/2013–14.

जगदीश पिता शंकर लाल चौरसिया
निवासी केरबना तहसील बटयागढ जिला दमोह म.प्र.
——— आवेदक

विरूद्ध

नन्नेलाल पिता काशीराम चौरसिया
निवासी केरबना तहसील बटयागढ जिला दमोह म.प्र.
——— अनावेदक

.....

श्री अनिल चौबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री नन्नेलाल स्वतः उपस्थित

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5 सितम्बर 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक के पिता के नाम ग्राम केरवना में एक बाड़ा जिसकी लम्बाई 16.46 मीटर एवं चौड़ाई 13.72 मीटर एवं एक धुरा जिसकी लम्बाई 6.86 मीटर एवं चौड़ाई 2.74 मीटर है उसे उपयोग करने में अनावेदक रोकता है अतः अनावेदक के

विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुये उसके स्वामित्व की भमि पर उपयोग करने की अनुमति दी जाये। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में सुनवाई करने के पश्चात आदेश दिनांक 02.3.2013 के द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार करते हुये अनावेदक ग्राम करबना स्थित भूमि पर से कब्जा हटाने के आदेश दिये। अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27–9–13 के द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 02–3–13 निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त आदेश दिनांक 04–3–15 के द्वारा अपील निरस्त की तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि आवेदक के पिता स्व0 श्री शंकरलाल चौरसिया को मुत्र जगरानी बहु बेवा अयोध्या प्रसाद चौरसिया ने अपनी भूमि स्वागी हक कि भूमि स्थित ग्राम केरबना तहसील बटयागढ जिला दमोह में ख0कं0 4/9, 5/53, 128/2 एवं 129 रकवा कमांश 0.324, 0.813, 1.499, 1.356 हे0 कुल रकवा 3.942 भूमि विधिवत रजिस्टर्ड हिबा द्वारा दिनांक 17–6–1980 को दे दी थी एवं उसी आधार पर आवेदक के पिता स्व0 शंकरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मेंनामांतरण किया। आवेदक के पिता कि मृत्यु उपरांत समस्त भूमियों पर आवेदक का नाम दर्ज हुआ। किन्तु आवेदक के भूगि पर अनावेदक द्वारा विधि विपरीत कचरा फेककर कब्जा किये जाने पर आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार केसमक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर नायब तहसीलदार ने विधिवत प्रकिया अपनाकर आदेश दिनांक 2–3–13 अनावेदक को बेदखल करने के आदेश दिये। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक ने जगदरानी के द्वारा नन्ने भाई को वसीयत दिनांक

18–12–91 को लिखा होना बताया गया परन्तु अनावेदक अपनी वसीयत को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर सके। जबकि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड हिबानामा जगरानी द्वारा किया गया था जिसे कभी किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया। चूंकि वसीयतनामा 1991 में लिखना बताया गया है तथा जगरानी की मृत्यु 1996 में हुई लम्बे समय तक वसीयतनामा को छिपया गया है तथा लम्बा समय बीतने के बाद भी अमल नहीं लाया गया इससे वसीतय संदेहास्पद हो जाती है। तर्क में यह भी कहा कि नायब तहसीलदार के विधसम्मत आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की है तथा अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखने में अवैधानिकता की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अपीलीय अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर मुख्य रूप से तर्क दिया कि नायब तहसीलदार ने यह नहीं देखा कि हिबानामा दिनांक 17–6–80 उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार अनुप्रमाणित था या नहीं। प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक ने वसीयत में दर्शित किसी भी अनुप्रमाणित साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं कराया है जिससे हिबानाम साबित नहीं है। नायब तहसीलदार ने अनावेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का विधिसंगत अवसर नहीं दिया गया। आवेदक ने अपने आवेदन में यह दर्शित नहीं किया कि उसे विवादित भूमि से कब बेदखल कर दिया गया तब ऐसी स्थिति में धारा 250 में परिसीमा का भी प्रश्न उत्पन्न होता परन्तु विद्वान नायब तहसीलदार ने इस पर गौर न कर अपने आदेश दिनांक 2–3–13 पारित करने में कानून की भूल की। नाबय तहसीलदार द्वारा अवैधानिक आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित न पाते हुये निरस्त किया तथा अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में विधिसंगत कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कब्जा हटाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में अनावेदक द्वारा बेकब्जा किये जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 – 2(1–क) के अनुसार –

"यदि किसी भूमिस्वामी को भूमि से विधि के सम्यक अनुक में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, या यदि कोई व्यक्ति भूमि स्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपायोग के लिए ऐसा व्यक्ति इस कोड के किसी उपबंध के अधीन हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप से कब्जा किये रहे, तो भूमिस्वामी या उसका हित उत्तराधिकारी,

(ए) किसी ऐसे भूमिस्वामी की दशा में जो कि ऐसी जनजाति का हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो,

(एक) अप्राधिकृत बेकब्जा के उन मामलों में जो कि 1 जुलाई सन 1976 के पूर्व के हों, 1 जुलाई सन् 1978 के पूर्व और

(दो) किन्हीं अन्य मामलो में ; यथास्थिति बेकब्जा किये जाने की तारीख से उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाय, पांच वर्ष के भीतर;

(ब) खण्ड (ए) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भूमिस्वामी की दशा में, यथास्थिति बेकब्जा किये जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाय, दो वर्ष के भीतर,

तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे कब्जा वापस दिलाया जाये।"

स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर से बेकब्जा करने के संबंध में कोई

उल्लेख नहीं किया। जबकि बेकब्जा का दिनांक और उसके दो वर्ष की अवधि के अंदर आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वाद भूमि का आवेदक को भूमिस्वामी होना चाहिए। नायब तहसीलदार ने विधिक तथ्यों को अनदेखा कर अनावेदक के विरूद्ध बेदखली का आदेश देने में त्रुटि की थी। नायब तहसीलदार ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि खं0नं0 659 की प्रति पेश की जिसमें अभिलेख में म0प्र0 शासन दर्ज है। आवेदक द्वारा अपने भूमि का जिक नहीं किया है और न ही उसके द्वारा अपनी भूमि के सीमांकन कराया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा किया हो। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश अवैधानिक आदेश को निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिसंगत पाते हुये अपील को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः दोनों अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 4–3–15 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर